सारणी-I

विभिन्न मूल्य सूचकांक श्रृंखलाओं के तहत वस्तु समूह

थोक मूल्य सूचकांक	आई०डब्ल्यू०	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ए० एल०
I. प्राथमिक वस्तुएं	I. खाद्य	I. खाद्य
(क) खाद्य वस्तुएं	II. पान, सुपारी, तम्बाकू एवं मादक पदार्थ	II. ईंधन एवं प्रकाश
(ख) खाद्य-भिन्न वस्तुएं	III. ईंधन और प्रकाश	III. वस्त्र एवं जूते चप्पल
(ग) खनिज पदार्थ	IV. आवास	IV. विविध एवं सेवाएं
II. ईंधन, विद्युत, प्रकाश तथा स्नेहक	V. वस्त्र, बिस्तर एवं जूते-चप्पल	
(क) कोयला खनन		
(ख) खनिज तेल		
(ग) बिजली		
III. विनिर्मित उत्पाद		
(क) खाद्य उत्पाद		
(ख) पेयपदार्थ, तम्बाकू तथा तम्बाकू उत्पाद		
(ग) वस्त्र		
(घ) काष्ठ एवं वनोत्पाद		
(ङ) कागज एवं कागज उत्पाद		
(च) चमड़ा एवं चमड़ा उत्पाद		
(छ) रबड़ एवं प्लास्टिक उत्पाद		
(ज) रसायन एवं रसायनिक उत्पाद		
(झ) गैर-धात्विक खनिज उत्पाद		
(ञ) मूल धातु, समिश्र धातु एवं धातु उत्पाद		
(ट) मशीनरी एवं मशीन औजार		
(ठ) परिवहन उपस्कर एवं उत्पाद		
(ड) अन्य विविध विनिर्माण उद्योग		

(घ) और (ङ) उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर जनवरी, 1991 से दिसम्बर, 1995 तक थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि 57.1 प्रतिशत, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 56.9 प्रतिशत तथा कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 66.3 प्रतिशत वृद्धि थी।

दूरदर्शन के धारावाहिकों की स्वीकृति के मानदण्ड

340. **श्री अजीत जोगी:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दूरदर्शन के धारावाहिकों की स्वीकृति के लिए क्या मानदण्ड तय किए गए हैं;

(ख) क्या अस्वीकृत धारावाहिकों का पुनरीक्षण करने के लिए कोई धारावाहिक पुनरीक्षण समिति है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पुनरीक्षण समीक्षा द्वारा क्रमशः वर्ष 1995 और 1996 के दौरान पुनरीक्षण किए जाने के बाद कितने धारावाहिकों को स्वीकृति दे दी गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी०एम० इब्राहिम): (क) दूरदर्शन, धारावाहिकों को स्वीकृति प्रदान करते समय निम्नलिखित मानकों का अनुपालन करता है:—

(1) कथावस्तु तथा इसकी समसामयिक प्रासंगिकता।

(2) विषय वस्तु का विवेचन।

(3) तकनीकी कर्मी दल की समग्र सक्षमता; तथा

(4) दूरदर्शन की कार्यक्रम संबंधी अपेक्षाओं के प्रति प्रासंगिकता।

(ख) और (ग) जी, हां। दूरदर्शन की नई प्रायोजकता स्कीम के दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत उन निर्माताओं जिनके प्रस्ताव रद्द कर दिए गए थे, की अपील का प्रावधान है जिनकी एव पुनरीक्षा समिति द्वारा जांच की जा रही है जिसमें महानिदेशक, दूरदर्शन और दूरदर्शन द्वारा बनाए गए पैनल में से कम से कम तीन गैर-सरकारी विशेषज्ञ (उन गैर-सरकारी विशेषज्ञों को छोड़ कर जिन्होंने पहले प्रस्ताव पर विचार किया था) शामिल हैं।

(घ) ब्यौरा निम्नानुसार है:—

1995	:	शून्य
1996	:	तीन

हिमाचल प्रदेश में हवाई पट्टियों के विकास की योजना

341. **श्री महेश्वर सिंह:** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश मे भुन्तर (कुल्लू), गग्गल (कांगड़ा) और जुब्बल (शिमला) में स्थित हवाई पट्टियों के विकास के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी०एम० इब्राहिम): (क) और (ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की हिमाचल प्रदेश में गग्गल, भुंतर और शिमला में हवाई पट्टियों के विकास की योजनाएं हैं। कुल्लू में विद्यमान हवाई पट्टी के पुनः सतहीकरण के लिए 146 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है और ब्यास नदी के साथ-साथ एक बांध और चारदीवारी के निर्माण के लिए 36.89 लाख रुपए की राशि आवंटित की गयी है। गग्गल हवाई अड्डे पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की धावनपथ को 3900 फुट से बढ़ाकर 4500 फुट तक करने की योजना है और शिमला में, 53 लाख रुपए की अनुमानित लागत से धावनपथ को 3800 फुट से बढ़ाकर 4100 फुट करने का कार्य प्रगति पर है। कार्य के दिसम्बर, 1996 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

मध्य प्रदेश में भारतीय जीवन बीमा निगम के शाखा कार्यालयों का खोला जाना

342. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्यालय की शाखाएं वर्ष 1991-92 से 1994-95 तक प्रति वर्ष कहां-कहां खोली गई हैं;

(ख) वर्ष 1995-96 और 1996-97 में नई शाखाएं कहां-कहां खोले जाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं,

(ग) क्या रायगढ़ जिले के जगपुर नगर में इस तरह के किसी शाखा कार्यालय को खोले जाने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री तथा कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Raids conducted by Custom and Central Excise Department

343. SHRI AJIT P.K. JOGI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the number of raids conducted by Custom and Central Excise Departments during the last three years;

(b) the total amount of cash and goods seized in these raids;

(c) the number of cases involved in these raids which have since been disposed of; and

(d) the State-wise amount realised by Government as custom duty and excise duty and also as penalty thereon?

THE MINISTER OF FINANCE AND THE MINISTER OF COMPANY AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM) (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Investmentby NRI*s**

344. SHRI JANARDHANA POOJ ARY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state;